क्र. 3325269/2015/105
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल म.प्र.–462003
दूरभाष–2552646, 2552878, फैक्स–2552406, 2551253
email:-encwrdbpl_mp@nic.in

भोपाल , दिनांक 10/ 01/2020

/कार्यालयीन आदेश/

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की रिट याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.1665/2016 (एस) में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 एवं रिट याचिका कमांक 1314/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2016 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ–3/ए–16/2014/पी–1/ इकतीस भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2015 के अनुसार म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम –1969 के नियम –6(क) में सीधी भर्ती के प्रावधान में एक बार के लिये विभाग में कार्यरत कार्यभारित/दैनिक वेतन भोगी स्नातक कर्मचारियों को नियमित स्थापना में अमीन के पद पर वेतनमान 5200–20,200 + ग्रेड–पे रू. 2100/–(सातवें वेतनमान के मेट्रिक लेवल–5) तथा म0प्र0 शासन व्दारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्तों पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है :–

स. क्रं.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	जाति श्रेणी	मुख्य अभियंता कार्यालय का नाम जहां पदस्थ है	मुख्य अभियंता कार्यालय का नाम जहां पदस्थ किया जाता है
1	श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत	श्री हाकिम सिंह	01-04-0968	अ.पि.व.	यमुना कछार, ग्वालियर	यमुना कछार, ग्वालियर
2	श्री विष्णु कुमार मुदगल	श्री हरिशंकर मुदगल	24-05-1969	सामान्य	यमुना कछार, ग्वालियर	यमुना कछार, ग्वालियर
3	श्री अशोक कुमार उपाध्याय	श्री प्रभुदयाल उपाध्याय	01-07-1962	सामान्य	यमुना कछार, ग्वालियर	यमुना कछार, ग्वालियर
4	श्री मनोज कुमार शुक्ला	श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला	15-07-1977	सामान्य	यमुना कछार, ग्वालियर	यमुना कछार, ग्वालियर
5	श्री संतोष कुमार उपाध्याय	श्री देवीप्रसाद उपाध्याय	01-03-1975	सामान्य	यमुना कछार, ग्वालियर	यमुना कछार, ग्वालियर
6	श्री राजेश सिंह चौहान	श्री अमर सिंह चौहान	01-07-1968	सामान्य	यमुना कछार, ग्वालियर	यमुना कछार, ग्वालियर

शासकीय सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1 मध्य प्रदेश शासकीय सेवा अस्थाई/अर्द्धस्थाई सेवा नियम–1960 में निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाऐं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित अभ्यार्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया के भॉति वसूली योग्य होगी।

2 संबंधित कार्यालय प्रमुख (जिसमें कर्मचारी द्वारा उपस्थिति सूचना प्रस्तुत की जा रही है) का दायित्व होगा कि मूल तथा वांछित दस्तावेज, शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन कर संतुष्ट होने के पश्चात ही उपस्थिति सूचना मान्य की जावेगी।

3 पदस्थीकरण आदेश जारी होने की दिनांक (प्राप्ति दिनांक से)एक माह की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।

4 कर्मचारी को कार्य ग्रहण के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड व्दारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5 कार्यग्रहण करने के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म चरित्र सत्यापन एंव सौ रूपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न है) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। पुलिस चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी की सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के तथा कारण बताए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

6 मध्यप्रदेश शासन आदिमजाति,अनु.जाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञाप क्र एफ–7/3/25/5/93/दिनांक 31.12.93 की कंडिका –1 के अनुसार जाति प्रमाण–पत्र का आवश्यक सत्यापन संबंधित जिला संयोजक से कराने के प्रकरण उनके स्तर से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय ।

7 विकलांग अभ्यार्थी होने बाबत जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यार्थी की फोटो तथा विकलागता का प्रतिशत अंकित हो ,एवं शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में हो ।

8 कार्य ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9 इन नियुक्तियों में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश मे राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

10 कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ–9/3/2003/नियम/चार, भोपाल दिनांक 13.04.2005 में निहित प्रावधान अनुसार पेंशन की पात्रता अंशदान पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।

11 उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में की गई पूर्व की सेवा अवधि पेंशन सहित एवं अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगी ।

12

10.01.2020

(एम.एस.डाबर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग

पृ.क्रमांक 3325269/2015/106 भोपाल, दिनांक 10/01/2020

प्रतिलिपिः—

1 अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल।

2 मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया संबंधित कर्मचारियों के विस्तृत पदस्थीकरण आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी करने की व्यवस्था करें।

3 अधीक्षण यंत्री,जल संसाधन मंडल ग्वालियर /निचला चंबल मंडल मुरैना ।

4 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सबलगढ़/भिण्ड ।

5 निज सहायक प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री(प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

6 बैव मेनेजर कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल ।

7 अधीक्षक कक्ष 331/332 की ओर सूचनार्थ।

8 संबंधित श्री .... आत्मज श्री .... द्वारा स.क्रं. 2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार प्रपत्र। L

10-01-2020

(एम.एस.डावर)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट-एक

[देखिए पैरा ३ (क)]

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी

अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा.

२. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त आदि किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किए जाने चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है. अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि, भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों (खात्मा), वापस ले लिए गए हों, या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो.

३. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

---

१. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .... कुलनाम (सरनेम) .... नाम ....
तथा उपनाम, यदि कोई हो
(यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए)

---

२. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला, या घर क्रमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

---

३. (क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना, तथा जिला या घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य, जिसमें वह स्थित हो) — (क)

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख.	(ख)

४. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों. यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहां आप २१ वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों.

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला, अथवा घर क्रमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला-मुख्यालय का तथा वह राज्य, जिसमें वह स्थित हो.
(१)	(२)	(३)	(४)

५. पिता का

(क) पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो .... (क)

(ख) वर्तमान डाक-पता (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए) .... (ख)

(ग) घर का स्थायी पता .... (ग)

(घ) व्यवसाय .... (घ)

(ङ) यदि किसी सेवा में हों तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिये. .... (ङ)

६. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता
(क) पिता ... (क)
(ख) माता ... (ख)
(ग) पति/पत्नि ... (ग)
(घ) उम्मीदवार ... (घ)
(दो) पति/पत्नि का जन्मस्थान ... (दो)

७. (क) जन्म तारीख ... (क)
(ख) वर्तमान आयु ... (ख)
(ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु ... (ग)

८. (क) जन्मस्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो. ... (क)
(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हैं. ... (ख)

९. (क) आपका धर्म ... (क)
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं? हां या नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हां में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए. ... (ख)

१०. शैक्षणिक अर्हताएं :—
वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में १५ वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो.

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता (१)	प्रवेश की तारीख (२)	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख (३)	उत्तीर्ण परीक्षा (४)

११. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए—

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप (१)	अवधि से	तक (२)	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता (३)	पिछली सेवा छोड़ने के कारण (४)

१२. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है/ आप पर जुर्माना किया गया है क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है/ उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है.

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लम्बित है? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हां में हों तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोषसिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए. इस जानकारी के अतिरिक्त, जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे :—

(एक) अपराध/आरोप.
(दो) पुलिस थाने में पंजीयित.
(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम.
(चार) मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया.
(पांच) दिया गया दंड.
(छह) क्या दोषमुक्त कर दिया गया?
(सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था.

टिप्पणी.—अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख .... स्थान ....

१३.	आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निर्देशियों (रेफरियों) के नाम, जो आपको जानते हों.	(१) (२)

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है. मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो. मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख .... स्थान ....

पहचान-प्रमाण-पत्र

(प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए) :

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी,
(दो) संसद या राज्य विधानमण्डल का सदस्य,
(तीन) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी, (चार) तहसीलदार या नायब/उप-तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हों, (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, (छः) खण्ड विकास अधिकारी, (सात) पोस्ट मास्टर, (आठ) पंचायत निरीक्षक.

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम श्री .... को पिछले .... वर्ष .... माह से जानता हूं, तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे, जो जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही हैं।

हस्ताक्षर ....
पदनाम या स्थिति
तथा पता
....

स्थान ....
तारीख ....

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

(एक)	नियुक्ति प्राधिकारी का नाम पदनाम और पूरा पता	....
(दो)	वह पद, जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है.	....

शपथ पत्र रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर किंया जाना है।

//शपथ पत्र//

मैं...आत्मज...आयु.....................

निवासी...जाति...........................निम्नानुसार शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि :–

1. मेरे विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में अथवा तत्समान संस्था में दर्ज नहीं है। यदि है तो विवरण संलग्न है।
2. किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में मुझे किसी भी प्रकरण में दण्डित नहीं किंया गया है। यदि किंया गया है,तो दण्डादेश संलग्न है।
3. मेरे विरूद्ध किसी भी पुलिस थांने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।
4. मेरे द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है तथा सत्य है।
5. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण संज्ञान में दी गयी है। मैं इस बाबत् भी सहमति व्यक्त करता हूँ कि यदि चरित्र सत्यापन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य सिद्ध होती है,तो मेरी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

शपथ कर्ता का नाम..................................

हस्ताक्षर...

दिनांक..

साक्षी –

स.क्र. नाम	पता	हस्ताक्षर
(1)		
(2)		